<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 31.03.2024</u>

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-</u>

इण्डो-नेपाल बॉर्डर मार्ग स्थित केमा बैरियर पर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा की गई सघन चेकिंग; आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इण्डो-नेपाल बॉर्डर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए निरंतर की जा रही बार्डर की निगरानी

आज दिनांक- 31.03.24 को आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत इण्डो-नेपाल बॉर्डर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना प्रभारी सम्पूर्णानगर, उ0नि0 निराला तिवारी मय पुलिस बल के साथ नेपाल राष्ट्र के ग्राम बिचपटा से भारत राष्ट्र के ग्राम सुमेर नगर को जाने वाले मार्ग पर स्थित केमा बैरियर आजाद नगर घोला पर प्रभावी चेकिंग की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा केमा बैरियर पर चेकिंग के दौरान मौजूद महिला आरक्षी आरजू व अन्य महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए, चेकिंग के दौरान दोनों राष्ट्रों के आने-जाने वाले लोगों का विस्तृत विवरण रजिस्टर में अंकित करने के संबंध में निर्देशित किया गया।

भारत-नेपाल राष्ट्र के बॉर्डर के मार्गों पर स्थापित बैरियर व नाका पर सघन चेकिंग अभियान निरंतर चलाकर भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा को जोड़ने वाले अन्य मार्गों पगडंडी, कच्चे व पक्के रास्तों पर अवैध रूप से तस्करी करने वालो पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा स्थानीय लोगों को निर्भीक होकर किसी के प्रभाव में आये बिना स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जनपद लखीमपुर में भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा 120 किलोमीटर के परिक्षेत्र में है जिसके अंतर्गत जनपद के चार थाने गौरीफंटा ,चंदन चौकी, तिकुनियां व संपूर्णानगर आते हैं जिनके द्वारा लगातार सीमा की निगरानी की जा रही है। बॉर्डर की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाए जाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा कवच सेल का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 16 कवच आउटपोस्ट बनाए गए हैं जिन पर उप निरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को कवच आउट पोस्ट के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आरक्षियों की पोस्टिंग भी की गई है जिनके द्वारा लगातार सीमा पर निगरानी करते हुए अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा से सटे कच्चे व पक्के मार्गों पर कुल 23 बैरियर, नाका व चेक पोस्ट का गठन तात्कालिक रूप से किया गया है जिस पर लगातार पुलिस द्वारा निगरानी करते हुए चेकिंग की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना संपूर्णानगर स्थित केमा बैरियर पर पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग की गई तथा थानाध्यक्ष संपूर्णानगर को निरंतर भारत-नेपाल सीमा पर अवांछनीय गतिविधि की निगरानी बनाए रखने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

थाना मझगई पुलिस द्वारा, 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनाकं 31.03.2024 को थाना मझगई पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 279/427/429 भादवि व धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.नादिर अली पुत्र स्व0 शमी उल्ला अंसारी नि0 ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी 2.लतीफ अंसारी पुत्र अनवर अंसारी नि0ग्रा0 रामनगर लहबडी थाना धौरहरा जनपद खीरी को ग्राम बम्हनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद प्लास्टिक के झोले में अलग-अलग एक मे कुल 03 अदद चापड व तीन मीटर काली पालीथीन दो प्लास्टिक की बोरी व पांच मीटर रस्सी नायलान व दो अदद सील सर्व मोहर तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना मझगई पर मु0अ0सं0 104/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0 105/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम क्रमशः 1.नादिर अली पुत्र स्व0 शमी उल्ला अंसारी नि0 ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी 2.लतीफ अंसारी पुत्र अनवर अंसारी नि0ग्रा0 रामनगर लहबडी थाना धौरहरा जनपद खीरी पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण नादिर अली व लतीफ उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

उल्लेखित है कि दिनांक 22.03.2024 को वादी पवन सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम जौहरा थाना फूलबेहड जनपद खीरी की सूचना पर कि खडी ट्रैक्टर ट्राली में आल्टो कार LX रजि0 नं0 DL9 CR 7711 के चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारने के सम्बन्ध में थाना मझगई पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 279/427 भादवि0 बनाम आल्टो कार LX रजि0 नं0 DL9 CR 7711 का चालक के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौराने मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.नादिर अली

पुत्र स्व0 शमी उल्ला अंसारी नि0 ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी 2.लतीफ अंसारी पुत्र अनवर अंसारी नि0ग्रा0 रामनगर लहबडी थाना धौरहरा जनपद खीरी का नाम प्रकाश में आया व मुकदमा उपरोक्त में धारा 429 भादवि व धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 की वृद्धि की गयी तथा 5 अभियुक्त वांछित चल रहे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण व पंजीकृत अभियोग का विवरणः</u>

1.मु0अ0सं0 104/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नादिर अली पुत्र स्व0 शमी उल्ला अंसारी नि0 ग्राम महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी

2.मु0अ0स0 105/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम लतीफ अंसारी पुत्र अनवर अंसारी नि0ग्रा0 रामनगर लहबडी थाना धौरहरा जनपद खीरी

<u>अभियुक्त नादिर अली का आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 342/2015 धारा 3/5/8/11 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
2.मु0अ0सं0 327/2016 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
3. मु0अ0सं0 491/2017 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
4.मु0अ0सं0 198/2019 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना धौरहरा
5.मु0अ0सं0 धारा 379,411 भादवि0 थाना ईसानगर
6.मु0अ0सं0566/2021 धारा 2(b)(i)/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना ईसानगर
7.मु0अ0सं0 380/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
8.मु0अ0सं0 486/2022 धारा 2(b)(xv)/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना धौरहरा

<u>अभियुक्त लतीफ अंसारी का आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0 253/2018 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
2.मु0अ0सं0 285/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
3.मु0अ0सं0 419/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
4.मु0अ0सं0 318/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना पलिया
5.मु0अ0सं0 138/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
6.मु0अ0सं0 389/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना धौरहरा
7.मु0अ0सं0 380/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना धौरहरा
8.मु0अ0सं0 486/2022 धारा 2(b)(xv)/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना धौरहरा
9.मु0अ0सं0 809/2022 धारा 21/22/8 NDPS ACT थाना धौरहरा

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

दो अदद प्लास्टिक के झोले में अलग-अलग एक मे कुल 03 अदद चापड व तीन मीटर काली पालीथीन दो प्लास्टिक की बोरी व पांच मीटर रस्सी नायलान व दो अदद सील सर्व मोहर तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1.व0उ0नि0 दिलीप कुमार राय थाना मझगई
2.उ0नि0 मो0 मुस्ताक थाना मझगई
3.का0 पवन कुमार थाना मझगई
4.का0 सुभाषचन्द्र थाना मझगई
5.का0 कमल कुमार थाना मझगई
6.का0 रोबिन सिंह थाना मझगई

थाना खीरी पुलिस द्वारा, 850 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) बरामद कर अभियुक्त रंजीत पुत्र जगदीश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 31.03.2024 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रंजीत पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 ग्राम मूसेपुर खुर्द थाना व जनपद खीरी को 850 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) बरामद कर मूसेपुर रेलवे क्रासिंग अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीत पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मूसेपुर खुर्द थाना व जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 0602/22 धारा 3/25 व आयुध अधिनियम, थाना व जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

850 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (गांजा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 श्री लाल बहादुर मिश्र
- हे0का मनीष कुमार यादव
- का0 अंकित सिंह
- का0 कौशलेन्द्र मिश्र

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त पुत्तू यादव पुत्र हरद्वारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण व बिक्री पर अंकुश हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खमरिया पुलिस द्वारा आज दिनाकं 31.03.2024 को 01 नफर अभियुक्त पुत्तू यादव पुत्र हरद्वारी नि0ग्राम शहवाजपुर मजरा बसढिया थाना खमरिया जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर मुअ0स0-130/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

पुत्तू यादव पुत्र हरद्वारी नि0ग्राम शहवाजपुर मजरा बसढिया थाना खमरिया जनपद खीरी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 846/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना ईसानगर जनपद खीरी
2.मु0अ0सं0 20/2006 धारा 379/411 भादवि, थाना मोतीपुर जनपद बहराइच
3.मु0अ0सं0 207/2006 धारा 379/411 भादवि, थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच
4.मु0अ0सं0 113/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना खमरिया जनपद खीरी
5.मु0अ0सं0 130/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना खमरिया जनपद खीरी

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 सुनील बाबू अवस्थी थाना खमरिया जनपद खीरी
2.हे0का0 अरूण कुमार थाना खमरिया जनपद खीरी
3.का0 अमित कुमार थाना खमरिया जनपद खीरी

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त महेश पुत्र मोतीलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियुक्त महेश पुत्र मोतीलाल निवासी वार्ड नं0 4 कस्बा व थाना सिंगाही जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु0अ0सं0 73/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त अम्बर पुत्र सुकई को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पढुआ पुलिस द्वारा अभियुक्त अम्बर पुत्र सुकई निवासी लोनियनपुरव थाना पढुआ जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना पढुआ पर मु0अ0सं0 136/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए कुल 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1390/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

1-जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा, विभिन्न अभियोगों से संबंधित कुल 08 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 570 लीटर अवैध शराब बरामद कर 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **570 लीटर अवैध शराब** व **07 शराब भट्टी** बरामद कर **24 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **24 अभियोग** पंजीकृत किए गए।